राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, जोधपुर
6 वेस्ट पटेल नगर रातानाड़ा, जोधपुर 342001 फोन नं. 0291–2510746 फेक्स नं. 0291–2510746
ई मेल : me.jodhpur@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–खअ / जोध / भण्डार शाखा / 2019–20 /   दिनांक :

नीलामी सूचना

कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भू विज्ञान विभाग 6 वेस्ट पटेल नगर रातानाड़ा जोधपुर के नाकारा / अनुपयोगी सामान की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 26.02.2020 बुधवार को दोपहर 03:00 बजे से नीलामी कमेटी द्वारा की जानी प्रस्तावित है। सामग्री का पुस्तक मूल्य रुपये 3704 / – (अक्षरे रुपये तीन हजार सात सौ चार) मात्र है। बोलीदाता को नीलामी शुरु किये जाने से पूर्व बायाना राशि रुपये 500 / – जमा करवानी होगी। नीलामी किये जाने वाला सामान मुख्य रुप से विभिन्न प्रकार के कार्यालय के नाकारा घोषित कार्यालय सामग्री / फर्नीचर है। नीलामी की शर्ते एवं नीलामी की जाने वाली सामग्री का भौतिक निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 24.02.2020 तक किया जा सकता है। निम्नलिखित दिशा–निर्देशो की पालना बोलीदाता को करनी होगी :–

01. बोलीदाता द्वारा लगाई बोली स्वीकृत नही करने पर जमा बयाना राशि को उसी दिन वापिस कर दी जावेगी।
02. जो लोग बयाना राशि जमा नही करवायेगें उनको निलामी में बोली लगाने का अधिकार नही होगा।
03. जिनकी निलामी की बोली उच्चतम होगी बोली की पूरी रकम बोली छूटने के एक घण्टे के अन्दर संस्था के खजानजी के पास जमा करानी होगी। ऐसा न करने पर उसकी बोली रद्द कर दी जावेगी एवं किसी भी सूरत में उसके द्वारा जमा करवाई गई बयाने की राशि वापस नही की जावेगी और इस कृत्य के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
04. निलामी किये गये सामान के मूल्य पर निर्धारित दर से जी.एस.टी. बोलीदाता को संबंधित विभाग को तत्काल राशि उसकी मांग के अनुसार जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करने के पश्चात् कार्यालय से सामान उठाने दिया जावेगा।
05. निलामी की बोली स्वीकृति की सूचना मिलने के दो दिवस के भीतर अयोग्य व नकारा सामान संस्था से उठाना अनिवार्य होगा। ऐसा ना करने पर बोली की समस्त रकम जब्त की जाकर राजकीय कोष में जमा करवा दी जावेगी और यह किसी भी सूरत में वापस नही की जावेगी।
06. बोली लगाने के इच्छुक व्यक्तियो को निलामी में उपलब्ध अयोग्य व नाकारा सामान इस कार्यालय के भण्डार में दिनांक 19.12.2019 तक सुबह 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक देखा जा सकता है।
07. निलामी खनि अभियंता जोधपुर द्वारा गठित कमेटी के सदस्यो द्वारा सम्पादित की जावेगी। निलामी विषय पर कोई विवाद होने पर गठित कमेटी को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होगा एवं लिया गया निर्णय सभी को मान्य होगा।
08. निलामी कमेटी के लिए उच्चतम बोली स्वीकृत कराना अनिवार्य नही होगा। निलामी कमेटी यदि उचित समझेगी तो प्राप्त समस्त बोलियो को रद्द करने का अधिकार होगा।

भवदीय,

Sd
खनि अभियन्ता,
जोधपुर

क्रमांक : सम / 992   दिनांक : 17-02-2020

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. सूचना पट्ट / कमेटी सदस्य / भण्डार पाल / कैशियर कार्यालय हाजा।
02. डी.एम.जी. ओ.एम.एस. प्रभारी को भेजकर निवेदन है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।

खनि अभियन्ता
जोधपुर

खनि अभियन्ता
खान एवं भू-विज्ञान
विभाग, जोधपुर (राज.)

Scanned by CamScanner